सं0 6/2617/60-2-14-2/3(27)/05

प्रेषक

आलोक रंजन
मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- **समस्त जिलाधिकारी**
उत्तर प्रदेश।

2- **समस्त मुख्य विकास अधिकारी**
उत्तर प्रदेश।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-2 लखनऊ दिनॉक 06 नवम्बर, 2014

विषय- कुपोषण की समस्या के समाधान हेतु जनपद स्तर पर अतिकुपोषित दो-दो ग्राम-सभाओं का गोद (Adopt) लेने के सम्बन्ध में।

महोदय ,

आप अवगत ही है कि प्रदेश में बच्चों के कुपोषण की समस्या के निदान के लिये राज्य पोषण मिशन का गठन किया गया है और 01 नवम्बर, 2014 को सिटीजन अलांयस के सदस्यों एवं यूनिसेफ की उपस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मिशन का शुभारम्भ किया गया। राज्य पोषण मिशन का विजन डाक्यूमेंट एवं अन्य महत्वपूर्ण सूचनायें वेबसाइट **http://icdsupweb.org/hindi/rajya-poshan.html** पर उपलब्ध है।

2- पॉच वर्ष से कम उम्र के आधे से अधिक बच्चों की मत्यु का एक प्रमुख कारण मातृ एवं शिशु कुपोषण है। कुपोषण के कारण 05 वर्ष से कम उम्र के लाखों बच्चों की असमय म़त्यु हो जाती है और जो कुपोषण से प्रभावित बच्चे जीवित रहते है, उनकी भी प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है जिससे प्राय: बीमार हो जाते है और उनका सम्यक विकास नही हो पाता है। स्वास्थ्य पोषण एवं स्वच्छता उपायों को प्रभावी ढंग से लागू करते हुए कुपोषण की समस्या को समाप्त किया जा सकता है तथा बाल मृत्यु दर में भी कमी लायी जा सकती है।

3- कुपोषण की रोकथाम तथा समाधान, गर्भावस्था से आरम्भ करके जीवन के पहले दो वर्षो तक सर्वाधिक, प्रभावी तरीके से किया जा सकता है। प्रारम्भ के 1000 दिन शिशु के जीवन के लिये अनमोल होते है। यदि शिशुओं के प्रथम दो वर्षो में उनके उचित पोषण पर ध्यान नहीं दिया गया तो वे अपने आगामी जीवन/वयस्क जीवन में अपूरणीय क्षति का शिकार हो सकते हैं, जो उनकी आगामी पीढियों को भी प्रभावित कर सकता है।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- कुपोषण की समस्या स्वास्थ्य, पोषण, अशिक्षा, गरीबी, अस्वच्छता एवं सामाजिक परिवेश से जुडी हुई एक गम्भीर समस्या है, जिसको विभिन्न विभागों के समन्वय, सहयोग एवं सामुदायिक सहभागिता से ही दूर किया जा सकता है। कुपोषण दूर करने के लिये आई0सी0डी0एस0, स्वास्थ्य और अन्य विभागों द्वारा कई कार्यक्रम चलाये जा रहे है। परन्तु आवश्यकता है कि इन कार्यक्रमों में समन्वय स्थापित कर उन्हें और प्रभावी तरीके से लागू किया जाय। इसमें जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की सक्रिय भूमिका आवश्यक है।

कुपोषण निवारण के लिए आवश्यक है कि जनपद के अन्तर्गत समस्त आंगनबाडी केन्द्रवार/ ग्रामसभावार अतिकुपोषित बच्चों को सूचीबद्ध करायें। यद्यपि अधिकांश जनपदों में आंगनबाडी केन्द्र पर कुपोषित बच्चों की सूची उपलब्ध होगी फिर भी एक अभियान चलाकर ए0एन0एम0, आशा, आंगनबाडी कार्यकर्त्री एवं मुख्य सेविका के माध्यम से 05 वर्ष तक के सभी बच्चों का वजन लिया जाय एवं अतिकुपोषित बच्चों (लाल श्रेणी में) की सूची तैयार कर ली जाय। सूची की एक प्रति खण्ड विकास अधिकारी एवं उपजिलाधिकारी के पास भी उपलब्ध रहेगी। यह कार्य 30 नवम्बर, 2014 तक अवश्य पूरा कर लिया जाय।

5- कुपोषण की रोक-थाम हेतु आवश्यक है कि स्वास्थ्य एवं बाल विकास विभाग के मध्य सामंजस्य स्थापित कर जनपद के प्रत्येक आंगनबाडी केन्द्र स्तर पर निम्न कार्यक्रमों के गुणवत्तापूर्वक क्रियान्वयन पर ध्यान दिया जाय।

- गर्भावस्था के दौरान आवश्यक रूप से गर्भवती महिला के वजन वृद्धि की निगरानी, टीकाकरण, आयरन की 100 गोलियां तथा अतिरिक्त आहार सम्बन्धी परामर्श अवश्य दिया जाय।

- 06 माह तक के बच्चों का टीकाकरण तथा वजन किया जाय तथा केवल माँ का दूध मिलने सम्बन्धी परामर्श सेवायें प्रदान की जाय।
- 06 माह से 02 वर्ष तक के बच्चों को उपरी आहार सम्बन्धी परामर्श अवश्य दिया जाय। साथ में उनका वजन तथा टीकाकरण सम्बन्धी सेवाये भी प्रदान की जाय। इसके लिए आशा व आंगनबाडी कार्यकर्त्री द्वारा गृह भ्रमण कर शिशु देखभाल व्यवहार की निगरानी की जाय।
- 02 वर्ष तक के बच्चों के खान-पान तथा स्वच्छता सम्बन्धी व्यवहार पर विशेष ध्यान दिया जाय।

- अतिकुपोषित बच्चो को निकटतम स्वास्थ्य केन्द्र /पोषण पुनर्वास केन्द्र पर सन्दर्भित किया जाय।

- 05 वर्ष तक के बच्चों का विटामिन-ए की द्विवार्षिक खुराक तथा 100 दिन आयरन सीरप से आच्छादन किया जाय। सभी घरो में आयोडीनयुक्त नमक के प्रयोग को

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रोत्साहित किया जाय। आशा व आंगनबाडी कार्यकर्त्री द्वारा गृह भ्रमण कर शिशु देखभाल व्यवहार की निगरानी की जाय।

- आंगनबाडी केन्द्रों पर उपस्थित बच्चों को नियमित रूप से प्रात:काल नाश्ता और दोपहर में हॉट कुक्ड फूड का वितरण और अन्य लाभार्थियों को टेक होम राशन का मानक के अनुसार वितरण सुनिश्चित कराया जाय।

6- सर्वे की प्रतीक्षा किये बिना जिलाधिकारी तथा मुख्य विकास अधिकारी दो-दो ग्राम सभाओं को 15 नवम्बर, 2014 तक गोद (Adopt) लेंगे। वर्तमान में उपलब्ध आकडों के आधार पर यथा सम्भव ऐसे ग्राम सभाओं का चयन किया जाय जहॉ पर सबसे अधिक कुपोषित बच्चे हो। चयन का उददेश्य है कि जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी अपनी देखरेख में इन चयनित 04 ग्रामों को कुपोषण मुक्त करायें।

- एक बार जिस ग्राम सभा का चयन कर लिया जाय, कुपोषण मुक्त होने तक ग्राम सभा वही रहेगी तथा अधिकारी के स्थानान्तरण होने पर भी चयनित ग्राम सभा का बदलाव नही किया जायेगा।

- प्रत्येक माह में जिलाधिकारी तथा मुख्य विकास अधिकारी अपने-अपने गांवों का भ्रमण करे तथा प्रगति का अनुश्रवण करेंगे।

- जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी चयनित ग्राम सभाओं की सूचना 20 नवम्बर, 2014 तक महानिदेशक राज्य पोषण मिशन तक उपलब्ध करा दें।

7- कुपोषण की रोकथाम तथा समाधान हेतु विविध हस्तक्षेपों को प्रभावी रूप से क्रियान्वित कर जनपदों को कुपोषण से मुक्त करने के प्रयास का मूल्यांकन कर सम्बन्धित जनपदों को पुरस्कृत करने का प्रस्ताव भी है।

8- कुपोषण की रोकथाम एवं निवारण का एजेन्डा जिलाधिकारी की प्राथमिकता में होना अनिवार्य है।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जाय।

भवदीय

(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

पृष्ठांकन 2617(1)/60-2-14 /तददिनांक

प्रतिलिपि:-**निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :**

1- प्रमुख सचिव, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

2- प्रमुख सचिव, नियुक्ति, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

3- प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

4- प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

5- प्रमुख सचिव, वित्त, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

6- प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

7- प्रमुख सचिव, खाद एवं रसद, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

8- प्रमुख सचिव, नियोजन, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

9- प्रमुख सचिव, पंचायती राज, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

10- सचिव, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0, लखनऊ।

11- महानिदेशक, राज्य पोषण मिशन, उ0प्र0, लखनऊ।

12- मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 लखनऊ।

13- निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उ0प्र0, लखनऊ।

14- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

15- राज्य प्रतिनिधि, यूनिसेफ, लखनऊ।

(मिश्रीलाल पासवान)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in